उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या- 30 /2021/ 2377 /92-2-2021-02टीएसी/2018

लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद प्रतापगढ में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों में की गई अनियमितता के क्रम में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-जी-106/पी0ए0-सी0टी0ई0/2848-119/02/2018-19 दिनांक 31-12-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के अनुसार जनपद प्रतापगढ में वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम गहबरा विकास खण्ड आशपुर देवसरा में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों में प्लास्टर निर्धारित मानक/मोटाई के अनुरूप न होने, नाली की तली/ ब्रिक चिनाई के ऊपर में पी0सी0सी0 शक्ति में कमजोर होने, सीमेंट कंक्रीट/लीन कंक्रीट की मोटाई कम पाये जाने आदि अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1,22,418.00 के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2019/106/92-2-2019-02टीएसी/2018 दिनांक 10.01.2019 द्वारा श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- प्रतापगढ (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

तद्क्रम में जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्रांक- 2759/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/सहा0अभि0/2019-20 दिनांक 10.09.2020 द्वारा प्रकरण की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जांच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री राकेश कुमार पर अधिरोपित आरोप संख्या-01 स्थापित होने के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-2382/92-2-2019-02टीएसी/2018 दिनांक 16.10.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी को अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत न किये जाने पर शासन के पत्र संख्या- 2893/92-2-2019-02टीएसी/2018 दिनांक 16.12.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी को अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु पुनः अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

2- अतएव निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक- जी-129/ग्रा0अ0वि0/स्था-1/अनु0कार्य-892/19-20 दिनांक 14.01.2020 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपचारी अधिकारी को अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने विषयक शासन के उपरोक्त पत्र की उपलब्ध करायी तामीली रसीद के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या का विवरण निम्नवत् है:-

आरोप संख्या-01

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम गहबरा विकास खण्ड-आसपुर देवसरा में सी0सी0 रोड एवं नाली के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध सं0-94/ई0ई0/14-15/दिनांक 10.03.2015 रू0 18,23,699.00 गठित हुआ था। जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.03.2015 एवं पूर्ण की तिथि 09.03.2015 थी। उक्त कार्य श्री राकेश कुमार की देखरेख में कराते हुए रू0 18,31,935.00 का भुगतान किया गया था। कार्य की जांच प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा की गयी। जांच के समय उक्त कार्य में विभिन्न मदों में आकलित शासकीय क्षति रू0 1,22,418.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 61,209.00 के 25 प्रतिशत भाग अर्थात रू0 15,302.25 के लिए श्री राकेश कुमार को उत्तरदायी ठहराया गया है। अतएव उनको सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने, अवर कोटि/ मानक के अनुरूप कार्य न कराने तथा कार्य पर हुई शासकीय क्षति रू0 15,302.25 के लिए दोषी मानते हुए आरोपित किया गया।

साक्ष्य:-

1- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा शासन को प्रेषित जांच आख्या विषयक संख्या-जी-106/पी0ए0-सी0टी0ई0/2848-119/02/2018-19 दिनांक 31-12-2018 के साथ संलग्न टी0ए0सी0 जांच आख्या की प्रति पढी जा सकती है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर:-

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-जी-106/पी0ए0-सी0टी0ई0/2848-119/02/2018-19 दिनांक 31-12-2018 द्वारा दी गयी जांच आख्या के पृष्ठ-3 के प्रस्तर-1 के अन्तिम पैरा में जैसा कि उल्लेख किया गया है कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रतापगढ द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रमाणित क्वालिटी एश्योरेंस रजिस्टर की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रति के अनुसार कार्य कराते समय किये जाने वाले विभिन्न परीक्षण क्यूब टेस्ट आदि के परिणाम मानक के अन्तर्गत पायी गयी। तत्समय मानक के अनुरूप कार्य कराने के उपरान्त ग्राम वासियों/ कराये गये कार्य के सामने वाले घरों के मकान मालिक द्वारा अपने घरों से संबंधित कराये जाने वाले कार्यों तथा सामग्री के आवागमन में नाली के टूट फूट हो जाने के उपरान्त उनके द्वारा स्वयं के माध्यम से नाली के कराये गये कार्यों के उपरान्त ही पी0सी0सी0 शक्ति में कमजोर एवं प्लास्टर शक्ति में कमजोर पाये जाने की स्थिति उत्पन्न हुई होगी क्योंकि कार्य कराते समय कार्य को पूर्ण रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराया गया था, जिसकी पुष्टि टी0ए0सी0 की जांच आख्या के इस तथ्य से होती है कि कार्य को प्राविधानित मापांकित मोटाई के अनुरूप कराया गया है तथा प्लास्टर की मोटाई 12 एम0एम0 के अनुरूप है। टी0ए0सी0 की जांच आख्या के पृष्ठ-04 से 05 पर अंकित कमियों के संबंध में अवगत कराया गया है कि कार्य में प्रयुक्त मसाले में प्रयोग किये गये अवयवों की जानकारी प्राप्त करने हेतु सीमेंट कंक्रीट (1:2:4) का सैम्पल कोड सं0- पी1सीसी। एवं लीन कंक्रीट 1:6:12 का सैम्पल कोड सं0- पी1एलसी1 आई0ई0टी0 लखनऊ को सीलबन्दकर प्रेषित किया गया था। आई0ई0टी के रिपोर्ट दिनांक 20.07.2018 के अनुसार सीमेन्ट कंक्रीट में मानक 1:2:4, सैण्ड एवं स्टोन ग्रिट के सापेक्ष 1:2.12:4.16 तथा लीन कंक्रीट के मानक 1:6:12, सैण्ड एवं स्टोन ग्रिट के सापेक्ष 1:6.23:12.58 का अनुपात पाया गया, जो मानक एवं परीक्षण के उपरान्त प्राप्त अवयवों के अनुपात में विचलन एवं प्राविधानित अनुपात में विचलन 10 प्रतिशत की परिशुद्धता के अन्तर्गत है। टी0ए0सी द्वारा प्रश्नगत कार्य में आंकलित शासकीय क्षति बिना गणनात्मक एवं आधारहीन है, जिसकी पुष्टि टी0ए0सी0 की जांच आख्या के पृष्ठ संख्या-5 एवं 6 तथा 7 पर आकलित शासकीय क्षति की गणना में किये गये उल्लेख से होती है।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना:-</u>

आरोप संख्या-01 में लगाये गये आरोप एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्यों तथा अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये बचाव उत्तर एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि "इस आरोप में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम गहबरा विकास खण्ड आशपुर देवसरा में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण हेतु गठित अनुबन्ध सं0-94/ई0ई0/14-15/दिनांक 10.03.2015 रू0 18,23,699.00 जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.03.2015 एवं पूर्ण की तिथि 09.03.2015 थी। कार्य की जांच प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा की गयी।

जांच के समय उक्त कार्य में विभिन्न मदों में आंकलित शासकीय क्षति रू0 1,22,418.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 61,209.00 के 25 प्रतिशत भाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अर्थात रू0 15,302.25 के लिए तथा सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने, अवर कोटि/ मानक के अनुरूप कार्य न कराने तथा कार्य पर हुई शासकीय क्षति रू0 15,302.25 के लिए दोषी मानते हुए आरोपित किया गया।

उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में साक्ष्य स्वरूप माप पुस्तिका सं0 678 (एल0एल0) पृष्ठ सं0- 01 से 32 तक की छायाप्रतियां संलग्न करते हुए उल्लेख किया गया है कि "विगत चार वर्ष पूर्व की घटना पर विचार व्यक्त किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में से मात्र प्रखण्ड- प्रतापगढ में कराये गये कार्यों को आर्दश के रूप में मानते हुए सारे प्रखण्डों में प्रसारित किया गया था परन्तु किस आधार पर टी0ए0सी0 द्वारा उपरोक्त कार्यों में दोष बताया गया है यह बात स्वयं में विचारणीय है। जबकि वास्तविकता यह है कि आज भी उपरोक्त कार्य अपनी जगह तटस्थ है।" वही आरोप पत्र के साथ संलग्न टी0ए0सी0 की जांच आख्या के पृष्ठ-3 पर डा0 लोहिया समग्र ग्राम गहबरा (विकास खण्ड आशपुर देवसरा) के संबंध में उल्लेख किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रतियों में कार्य कराते समय किये जाने वाले विभिन्न परीक्षण क्यूब टेस्ट आदि किय गये, जिनके परिणाम मानकके अन्तर्गत है तथा हरिजन बस्ती में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के कार्य के संबंध में टी0ए0सी0 की जांच आख्या के पृष्ठ संख्या-4 पर उल्लेख किया गया है कि नाली की तली में डाली गयी पी0सी0 सी0 की मोटाई 5.00 से0मी0 पायी गयी जो प्राविधानित एवं मापांकित मोटाई के अनुरूप है, परन्तु पी0सी0सी0 शक्ति में कमजोर पायी गयी। नाली के ब्रिक चिनाई के ऊपर प्राविधानित पी0सी0सी0 1:2:4 के स्थान पर प्लास्टर किया गया पाया गया जो स्वीकार योग्य नहीं है। ईंटों की क्वालिटी सामान्यत: ठीक है। प्लास्टर की मोटाई 12 एम0एम0 पायी गयी, जो मापांकन के अनुरूप है, परन्तु शक्ति में कमजोर पाया गया एवं यादव बस्ती में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य के संबंध में टी0ए0सी0 की जांच आख्या के पृष्ठ संख्या-5 पर उल्लेख किया गया कि स्थलीय निरीक्षण में निरीक्षित गलियों में जिन स्थानों पर बेस कांक्रीट, पी0सी0सी0 एवं प्लास्टर शक्ति में कमजोर पाया गया है, उसका सीमेन्ट कांक्रीट में निर्धारित अनुपात होने के उपरान्त भी कांक्रीट को विशिष्टियों के अनुरूप मिक्सिंग न किये जाने, डब्लू/सी रेसियो कायम न हो पाने के कारण एवं कांक्रीट को डालने के पश्चात समुचित तराई न किये जाने के कारण हो सकता है। इस प्रकार टी0ए0सी0 की जांच आख्या के पृष्ठ संख्या-6 पर आकलित गणनात्मक क्षति जिसमें हरिजन बस्ती वाली गली में नाली के साथ की गयी ब्रिक चिनाई के ऊपर पी0सी0सी0 1:2:4 के स्थान पर प्लास्टर पाये जाने की दशा में अस्वीकार किये जाने के फलस्वरूप आंकलित शासकीय क्षति मु0 7,058.31, 2-यादव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बस्ती एवं हरिजन बस्ती में प्लास्टर 1:6 शक्ति में कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप आंकलित शासकीय क्षति मु0 348.04, 3- यादव बस्ती एवं हरिजन बस्ती वाली गली में नाली की तली में पी0सी0 1:2:4 शक्ति में कुछ स्थानों पर कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप आंकलित शासकीय क्षति मु0 2,491.58, 4- यादव बस्ती वाली गली में दो स्थानों पर मापी सीमेन्ट कांक्रीट 1:2:4 की मोटाई औसत से कम पाये जाने पर आंकलित शासकीय क्षति मु0 61,246.79, 5- यादव बस्ती में सी0सी0 1:2:4 शक्ति में कुछ स्थानों पर कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप आंकलित शासकीय क्षति मु0 7,752.75, 6- यादव बस्ती में लीन कंक्रीट 1:6:12 की मोटाई से औसतन 1.915 से.मी. पाये जाने के फलस्वरूप आंकलित शासकीय क्षति मु0 33,475.64, 7- यादव बस्ती में लीन कंक्रीट 1:6:12 शक्ति में कुछ स्थानों पर कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप आंकलित शासकीय क्षति 2,750.77, 8-यादव बस्ती वाली गली में नाली के साथ की गई ब्रिक चिनाई के ऊपर पी0सी0सी0 1:2:4 शक्ति में कुछ स्थानों पर कमजोर पाये जाने पर आंकलित शासकीय क्षति मु0 462.98, 9- यादव बस्ती वाली गली में प्लास्टर 1:6 मोटाई की मापांकित मोटाई से मोटाई 6.00 एम0एम0 कम पाये जाने के फलस्वरूप आंकलित शासकीय क्षति मु0 4,234.20, 10- यादव बस्ती वाली गली में नाली की तली में पी0सी0सी0 1:2:4 मापांकित मोटाई से 0.50 सेमी0 कम पाये जाने पर आंकलित शासकीय क्षति मु; 2,567.34 (इस प्रकार कुल आंकलित शासकीय क्षति के 25 प्रतिशत अर्थात रू0 15,302.25) के लिए अपचारी अधिकारी को दोषी बताया गया है। इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये बचाव उत्तर में टी0ए0सी0 की जांच आख्या में आंकलित शासकीय क्षति का खण्डन तथ्यात्मक एवं साक्ष्यात्मक रूप से न दिये जाने के कारण "मानक के अनुरूप कार्य न कराने तथा कार्य पर हुई शासकीय क्षति रू0 15,302.25 का दोष अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाया जाता है। अतएव अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप संख्या-01 स्थापित होता है।

3- प्रश्नगत प्रकरण में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड- प्रतापगढ़ के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई थी, अतएव उनके सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत "मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने" के आरोप स्थापित पाये जाने पर उन्हें प्रशासनिक दण्ड दिये जाने का अवसर उपलब्ध नहीं है। अतएव अपचारी अधिकारी पर शासकीय क्षति रू0 15302.25 का अधिरोपित आरोप स्थापित पाये जाने पर श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के पेंशन से शासकीय क्षति रू0 15302.25 की धनराशि की कटौती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

4- श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में विनिश्चित निम्नवत् अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र संख्या-141प्र0स0/92-2-2021-02टीएसी/2018, दिनांक 25.03.2021 द्वारा सहमति उपलब्ध कराने हेतु मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज से अनुरोध किया गया:-

> **"कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2019/106/92-2-2019-02टीएसी/2018, दिनांक 10.01.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने के स्थापित आरोप पर श्री राकेश कुमार के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण प्रशासनिक दण्ड दिये जाने का अवसर उपलब्ध नहीं है। अतः श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड- प्रतापगढ़ (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से शासकीय क्षति रू0 15,302.25 की धनराशि की कटौती करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दिया जाय।"**

5- मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या-28/01/ए.डी.सी./एस-12/21-22 दिनांक 07 जुलाई, 2021 द्वारा श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त की पेंशन से शासकीय क्षति रू0 15302.25 की धनराशि कटौती के विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर सहमति प्रदान की गई है।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं मा0 आयोग की सहमति दिनांक 07.07.2021 के क्रम में श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2019/106/92-2-2019-02 टीएसी/ 2018, दिनांक 10.01.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा उनके पेंशन से शासकीय क्षति रू0 15,302.25 (रू0 पन्द्रह हजार तीन सौ दो एवं पच्चीस पैसे मात्र) की कटौती किये जाने के दण्ड के साथ समाप्त किया जाता है।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

कल्पना अवस्थी,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रमुख सचिव।

संख्या- 30 /2021/ 2377 (1)/92-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री लखन लाल शिवहरे, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उनके पत्र

संख्या-28/01/ए.डी.सी./एस-12/21-22 दिनांक 07 जुलाई, 2021 के क्रम में।

3- श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़(सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।